बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांकः– 08.04.25

संख्याः–8/आ0 (मु0राज0 नि0)–03–01/2021–1876/ श्री रामप्रवेश चौहान, तत्कालीन अवर निबंधक, हिलसा (नालन्दा) सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को जमीन रजिस्ट्री करने के एवज में श्री योगेन्द्र यादव से रू. 8000/–(आठ हजार) रिश्वत लेते निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने, गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तथा निगरानी थाना कांड सं0–055/2014 दिनांक 26.08.2014 में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के परिणाम स्वरूप कदाचार के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत श्री चौहान के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2406 दिनांक–10.08.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

2. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा मा0 पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16992/2021 (राम प्रवेश चौहान बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0सं0–16992/2021 में दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 में निहित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गयी। विधि विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। विधि विभाग के ज्ञापांक–1380 दिनांक–28.02.2025 द्वारा संसूचित दिनांक–20.02.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

''समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16992/2021 (रामप्रवेश चौहान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना संख्या–2406, दिनांक–10.08. 2020 के द्वारा श्री राम प्रवेश चौहान के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए, सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–16992/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.10. 2024 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।''

3. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना स0–1608 दिनांक–27.03.2025 के द्वारा श्री रामप्रवेश चौहान, तत्का0 अवर निबंधक, हिलसा, सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन

महानिरीक्षक का कार्यालय भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2406 दिनांक–10.08.2020 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः बहाल किये जाने तथा निलंबन की तिथि से अनुमान्य सभी परिणामी लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का आदेश अधिसूचित है। श्री चौहान द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक–28.03.2025 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं0–1809 दिनांक–04.04.2025 के द्वारा अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर उन्हें पदस्थापित किया गया। श्री चौहान द्वारा दिनांक–07.04.2025 को अवर निबंधक के पद पर प्रभार ग्रहण किया गया है।

4. श्री रामप्रवेश चौहान, तत्का0 अवर निबंधक, हिलसा, सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दण्ड के आदेश निरस्त होने एवं निलंबन की तिथि से अनुमान्य सभी परिणामी लाभ प्रदान किये के आदेश के आलोक में श्री चौहान के निलंबन की तिथि 26.08.2014 से अवर निबंधक के पद का पुनः प्रभार ग्रहण करने की तिथि 07.04.2025 तक की अवधि को कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किये जाने का मामला विचाराधीन है।

5. श्री चौहान को दिये गये दण्ड के अधीन निलंबन अवधि, बर्खास्तगी अवधि एवं पदस्थापन की प्रतिक्षा अवधि का विवरण निम्नवत् हैः–

(1) दिनांक–26.08.2014 से दिनांक–10.08.2020 (निलंबन अवधि– अधिसूचना सं0–3718 दिनांक–03.09.2014 एवं अधिसूचना सं0–5083 दिनांक–21.11.2014 द्वारा)

(2) दिनांक–11.08.2020 से दिनांक–27.03.2025 (बर्खास्तगी अवधि– अधिसूचना सं0–2406 दिनांक–10.08.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्त एवं विभागीय अधिसूचना सं0–1608 दिनांक–27.03.2025 द्वारा सेवा में पुनः बहाल)।

(3) दिनांक–28.03.2025 से दिनांक–06.04.2025 तक (विभाग में योगदान की तिथि दिनांक–28.03.2025 एवं अवर निबंधक का पद ग्रहण करने की तिथि दिनांक–07.04.2025 के पुर्व तक की अवधि)

6. अतः समीक्षोपरांत उपर्युक्त कंडिका–5 की उप कंडिका (1) एवं (2) में वर्णित निलंबन अवधियों एवं बर्खास्तगी की अवधि को पूर्ण वेतन–भत्ता सहित कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में तथा उपर्युक्त कंडिका–5 की उप कंडिका (3) में वर्णित पदस्थापन की प्रतिक्षा अवधि (प्रभार रहित अवधि) को पूर्ण वेतन पर कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8 / आ0 (मू0राज0 नि0)–3–01 / 2021–1876 / पटना, दिनांक–08.04.25

प्रतिलिपिः– 1. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के आप्त सचिव / निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–5) / अपर महाधिवक्ता सं0–05 को एम0जे0सी0सं0–3956 / 2024 के संदर्भ में / श्री रामप्रवेश चौहान, अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / विभागीय प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव